RE. SHIFTING OF SOME INDUSTRIES OUT OF DELHI AND CONVERSION OF LEASEHOLD PROPERTIES INTO FREE-HOLD

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): महोदया, 6 महीने हो गए इस सरकार को बने हुए लेकिन दिल्ली की एक करोड़ से ज्यादा आबादी के कई मामले हैं जिनके बारे में कोई फैसले नहीं किए जा रहे और उस वजह से क्योंकि कोई फैसले नहीं किए जा रहे.....

उपसभापति: यह दूसरा मामला है।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am coming to that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will explain. Let me explain.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (WEST BENGAL): We had asked the Minister yesterday, Government made a declaration yesterday.

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, हमें इतनी जानकारी चाहिए। मंत्री जी ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसकी इत्तिला यहां सदन में हम लोगों का मिलेगी। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We had requested the Minister yesterday and the request was unanimous from this House. Today is the last working day and the Supreme Court judgment says that by 30th all these units of industry should go out of Delhi or they would have to close down. Madam, one lakh workers are involved. Government has slept over it. Kindly ask the Government to come to the House.... *(Interruptions)*... Please, Madam, there is no time. Please direct the hon. Minister to call for his colleague to make a statement just now... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will do it. If only you sit down, I will be able to tell the Government. If you keep standing, it is difficult for me to communicate. Prof. Malhotra, please sit down now. I will allow you to speak later on. The question is, today is the last working day for the Supreme Court. After that, there will be holidays. Today is the last working day... *(Interruptions)*...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Madam, it is not holidays.

The Supreme Court will close after 30th November, 1996... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If everybody speaks at the same time, I cannot get to know the exact position.

श्री मोहम्मद आज़म खान: मैडम, पोजीशन यह है कि कल मंत्री जी ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई है और यह आज का इशू नहीं है। इशू यह है कि कल मंत्री जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि आज सुबह बताएंगे। इशू यह नहीं है कि आज जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब जाने का कोई समय नहीं रह गया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। इससे केवल दिल्ली के कारखाने ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि पूरे देश के होंगे। मालिकान जमीन बेचकर खा जाएंगे और मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि कल मंत्री जी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन मूव किया है, उसका क्या हुआ?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What has the Government done?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I will find out what the Government has done. The Parliamentary Affairs Minister is here. Mr. Minister, there are two things involved in the issue. I called you name to announce the Government Business. Okay, I will ask you to do that later on. The question now is that Mr. Ramoowalia gave an assurance to the House yesterday that he would approach the Supreme Court. Hon. Members went to know as to what happened to his assurance. The House wants to know as to what happened to his assurance because 30th November is a holiday.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Madam Deputy Chairman, I will convey the sentiments of the House to the Minister.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No, you must now go and fetch the Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will go and find out.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Madam, as directed by you, we will convey the sentiments of the House to the concerned Minister. He will come and make an appropriate statement before the House.

श्री मोहम्मद आज़म खान: यह तो बात बिल्कुल दूसरी हो गई। यह इशू इतना आसान नहीं है कि सरकार भी इससे भाग जाए और सदन भी अपनी जिम्मेदारी न निभाए। इस तरह तो सदन को गुमराह किया जाएगा।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Today is the last working day. There is no time. They must go to the Supreme Court and obtain a stay. Otherwise, more than a lakh of workers will go out of jobs. There is no time.

SHRI S.R. BOMMAI: There is time ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you all sit down, I will ask the Government ...*(Interruptions)*... I have now understood the matter. Mr. Minister, the point is very clear that today is the last working day for the Supreme Court. Yesterday, the Minister, Mr. Ramoowalia, said that they were to go to the Supreme Court for a stay order.

SHRI S.R. BOMMAI: It is not the Government ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We want the Government to go to the Supreme Court ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute, Mr. Gupta ...*(Interruptions)*... Mr. Gupta, don't do like this. The thing is that the Minister who assured the House is not here. Mr. Bommai does not know the whole thing. Mr. Bommai, it appears that somebody went to the Supreme Court. Now the hon. Members are saying that the Government should approach the Court because some workers would lost jobs if the Government do not approach the Supreme Court before 30th November. The outer limit fixed by the Supreme Court is 30th November, 1996. Yesterday the Minister said that he would find out and see that the Government approached the Supreme Court for a stay order and he promised to come before the House today. Hon. members are only wanting the Minister to come to the House and explain as to what happened yesterday.

AN HON. MEMBER. They have already gone to the Supreme Court.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have understood it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, what has to be done now? What has to be done now? It is a serious issue ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a second ...*(Interruptions)*... Let there be order in the House ...*(Interruptions)*... Mr. Gupta, I understood the matter ...*(Interruptions)*... .

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: They must go and bring the concerned Minister to the House.

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, please allow me for a second. We are aware of the seriousness of the question involved because it involves jobs of some workers. Yesterday a statement was made. We will, however, convey the sentiments of the House to the concerned Minister.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: There is no time.

SHRI S.R. BOMMAI: There is time. The concerned Minister will be informed ...*(Interruptions)*... .

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, we would like to know today. *(Interruptions)* Today is the last day. *(Interruptions)* This is not the way, Madam. We must know from the Government as to what is happening. *(Interruptions)*

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Today only you will know. *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, we want a direction. *(Interruptiona)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I will give. Please sit down first. *(Interruptions)*

श्री मोहम्मद आज़म खान: आज का लास्ट डे निकल रहा है। ...(व्यवधान)...

लास्ट डे ओवर हो गया ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, we want a direction from you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I will give the direction. But if you sit down, then only I will give the direction. *(Interruptions)*

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Madam, the fact is that they can't trust their own Government. That is the trouble with them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't know about that.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: First trust your own people.

SHRI NILOTPAL BASU: Don't stoop so low, Mr. Singla. *(Interruptions)*

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: What is low? It is stupidity that you are talking about. You are talking low. *(Interruptions)*

उपसभापति: मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: आप इनको रोके तो बोलूं।

उपसभापति: इनको लड़ने दीजिए। आप बोलिए।

I don't think there is seriousness. *(Interruptions)* I don't think there is seriousness because you stand quarrelling among yourselves and then the whole issue is lost. *(Interruptions)*

श्री जलालुदीन अंसारी: मैडम, यह इनकी पुरानी बीमारी है। ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please keep quiet, Mr. Ansari.

श्री जलालुदीन अंसारी: जो मन में आता है बोल देते हैं? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: महोदया, मैं यह बात कह रहा था कि दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले बहुत से मामले हैं जिनमें से एक बात का जिक्र अभी हो रहा है। इस समय 68 इंडस्ट्रीज को 30 नवम्बर, 96 तक बन्द करने का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया है परन्तु डेढ़ लाख इंडस्ट्रीज और हैं जिनका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। इन डेढ़ लाख इंडस्ट्रीज को भी दिसम्बर तक बन्द करने का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उनमें दस लाख मजदूर काम करते हैं और उन 68 इंडस्ट्रीज में तो बहुत थोड़े से मजदूर काम करते हैं परन्तु इसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर नहीं है। The Supreme Court has only said that, आप इसको रेगुलराइज करिए, मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करिए या इसके लिए रूल्स बनाइये। अगर ये इंडस्ट्रीज गैर कानूनी हैं तो दिल्ली से बाहर चली जायें और इस गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया है। यह कार्य गवर्नमेंट को करना है इसमें तो सुप्रीम कोर्ट और... It is not for the Supreme Court or anyone else. ये मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करें और जो नॉन कंफर्मिंग एरिया में इतने सालों से इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो उसके बारे में आप रूल्स बनायें। गवर्नमेंट इसको कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्टेट के मामले में जिसमें दस लाख मजदूर काम करते हैं कोई काम नहीं किया।

महोदया, मैंने कल किराया कानून के बारे में भी जिक्र किया था। उसके साथ ही मैंने सवा लाख इंडस्ट्रीज में कार्यरत दस लाख मजदूरों का सवाल भी उठाया था, जिन इंडस्ट्रीज को बन्द करने का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। We are not doing our duty. The Parliament is not doing its duty and the Government is not doing its duty. That is why the Supreme Court has come in.

नॉन कंफरमिंग एरिया की सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली से बाहर निकाल दी जाये। इस वजह से कठिनाई पैदा हो रही है। दूसरा किराया कानून का मुद्दा है। एक करोड़ आदमी दिल्ली में रहते हैं और एक करोड़ के एक करोड़ इससे ताल्लुक रखते हैं। मकान मालिकों और किरायेदारों में रोजाना झगड़े हो रहे हैं। इस सवाल पर यहां रोजाना एजीटेशन हो रहे हैं, रोजाना धरने हो रहे हैं। आधे मिनिस्टर इधर चले जाते हैं और आधे मिनिस्टर उधर चले जाते हैं, आधे एक पक्ष का एश्योर करते हैं और आधे दूसरे पक्ष को एश्योर करते हैं। गवर्नमेंट इस मामले में क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने इस मामले को रोका हुआ है। एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने चार लाख झुग्गी-झौपड़ियों को दिल्ली से बाहर निकालने का या हटा देने का आर्डर किया है। उन चार लाख झुग्गी-झौपड़ियों को कैसे बसाना है उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की है और फिर सुप्रीम कोर्ट पर आयेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने निकालने की बात की है। दिल्ली में डेढ़ हजार अन-आथोराइज्ड कलौनियां हैं, इनको रेगुलराइज करने के लिए कहा हुआ है या तो इनको रेगुलराइज किया जाये या इनको हटा दिया जाये। जो आखिरी बात है वह बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे मैं आज रेज करना चाहता हूं वह है लीज होल्ड प्रोपर्टी का फ्री होल्ड में कंवर्सन करने का। मैंने पिछले सेशन में यह सवाल उठाया था तो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इसके बारे में जल्दी ही राय करके फैसला कर देंगे। महोदया, 31 अगस्त के बाद से कोई कंवर्सन नहीं हो रहा है और 31 अगस्त की लास्ट डेट थी। करीबन साढ़े चार लाख प्रोप्रर्टीज का लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कंवर्सन होना है। लोग कंवर्सन कराना चाहते हैं लेकिन रूल्स ज्यादा सख्त बने हुये हैं। दलाल बीस-बीस हजार रुपये बीच में मांग रहे हैं। जिसकी आज लीज है दो रुपये उससे दो लाख रुपये मांगे जा रहें हैं और जिसकी लीज एक रुपया है उससे एक लाख रुपये मांगे जा रहे हैं तथा जिसकी लीज दौ सौ रुपये उससे पैंतीस हजार रुपये देने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए मैं डिमांड करना चाहता हूं कि इसकी डेट छह महीने बढ़ा दी जाये। दूसरे इसके रेट्स को सारी पार्टियों के साथ

डिसकस करके रीजनेबल बनाया जाये ताकि लोग इसको कंवर्ट करा सके। कोई फायदा नहीं है फ्री होल्ड कराने में कामर्शियल लीज को। यह फ्री होल्ड हो या न हो किसी को क्या फर्क पड़ता है। सवाल गवर्नमेंट के ब्लैक मेलिंग का है और इस वजह से आप इसको रेगुलराइज करिए, रेट कम करिए और रूल्स ऐसे बनाइये कि जो बीच में बैठकर वहां पर एजेन्ट दस-दस और बीस-बीस हजार रुपया ले रहे हैं उसको खत्म किया जाये। इसको आप कब तक करेंगे? मंत्री महोदया यहां पर बैठे हैं वे इसको एश्योर करें। यह मैं डिमांड करना चाहता हूं।

श्री ओ०पी० कोहली (दिल्ली): मैं प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा के वक्तव्य से अपने को सहमत करता हूं कि मास्टर प्लान में संशोधन होना चाहिये। लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कंर्वजन की जो तारीख है इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिये। कल भी मास्टर प्लान में संशोधन का विषय यहां पर उठाया गया था। इसके बिना उस समस्या का समाधान नहीं है। जो सवाल अभी यहां पर इंडस्ट्री का उठाया गया है उसमें करीब दस लाख मजदूर काम करते हैं। उनके भविष्य का सवाल है और एक लाख इंडस्ट्री के बन्द होने का सवाल है। मास्टर प्लान में संशोधन ही इसका एक मात्र उपाय है और साथ में ही लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कंवर्जन की तिथि को भी बढ़ाया जाना चाहिये। मैं प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा के वक्तव्य से अपने को एसोसिएट करता हूं।

उपसभापति: श्री सतीश प्रधान।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा। मैडम, मंत्री जी हैं। Kindly ask the Minister whether he wants to say something, in this regard कि वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पिछले 6 महीने से?... **(व्यवधान)**

उपसभापति: श्री सतीश प्रधान।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा। नहीं, नहीं। मिनिस्टर साहब से पूछिये तो सही।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Had he wanted to say something, he would have said it.

RE: CIRCULATION OF FAKE Rs. 500 AND Rs. 100 CURRENCY NOTES BY PAKISTAN

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): महोदया, मैं इस सदन में रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई स्टेटमेंट के विषय पर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। पिछले हफ्ते में रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट निकाली और बताया कि पाकिस्तान और उनका आई०एस०आई० हिन्दुस्तान में रिटेल मार्किट में खासकर के सौ रुपया और पांच सौ रुपया के जाली नोट सर्कुलेट कर रही है। मुझे याद है कि हम जिस ढंग से नोट निकालते हैं, छापते हैं और बनाते हैं, उस विषय पर मैंने पिछले कई सेशनों में इस सदन में एक विषय रखा था और उसमें बताया था कि हमारे यहां जो नोट बनते हैं उनमें कैसे फर्क रहता है। मैंने यह सदन के सामने लाने की कोशिश की थी और उस समय भी बताया था कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री इस विषय पर ध्यान दें और हमें बतायें कि सच क्या है? अभी तो रिजर्व बैंक बात कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहां जाली नोट फैलाने की सर्कुलेट करने की कोशिश हो रही है। रिजर्व बैंक लोगों को सतर्क कर रहा है कि आप इस विषय पर सतर्क रहें। इससे यहां कुछ और सवाल खड़े होते हैं कि हमारे पास जो हमारी खुफिया एर्जेसिज हैं ये इस विषय में क्या कर रही हैं, हमारा पुलिस डिमार्टमेंट क्या कर रहा है?

ये जाली नोट यहां सर्कुलेट न हो या इनको बन्द करने की सरकार क्या कोशिश कर रही है, इस विषय पर यहां आकर सरकार को स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है। अभी तक सरकार का इस विषय पर आगे क्या कुछ करने का इरादा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सदन में आकर इस विषय पर जो असलियत है वह सबके सामने रखे क्योंकि यह रिजर्व बैंक का स्टेटमेंट है और किसी के द्वारा जारी किया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। जब रिजर्व बैंक स्टेटमेंट जारी करता है तो इसका मतलब यह है कि यह सच है। यदि यह सच है तो इस विषय पर सरकार को पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी है और उसको सदन में आना होगा और इस विषय पर जानकारी देनी होगी।

RE: NEED TO BRING LEGISLATION FOR RESERVATION FOR DALIT CHRISTIANS INTHE CURRENT SESSION OF PARALIAMENT

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई आपस में सब भाई-भाई, ये नारा दिवारों पर तो लिखा गया लेकिन दिलों पर शायद इस नारे को लिखने की फुर्सत नहीं मिली है। अभी एक रोज पहले 27 तारीख को देशभर के गिरजाघरों के पादरियों, नन्स ने यानी अगर कहें कि क्रिश्चियन्स बिरादरी के सैकड़ों पुरूषों और महिलाओं ने दिल्ली की सड़कों पर एक मार्च किया और संयुक्त मोर्चा की सरकार को उनके वायदे की याद दिलाई।